मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

सुनील कुमार बनाम महावीर प्रसाद आदि

दावा बाबत :– 88 RTAct

मुकदमा नम्बर :– 176/2021

निर्णय दिनांक :– 09-11-2021

वादी की ओर से वकील मुरारीराम गोस्वामी की व प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से वकील सुरेन्द्र मील की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 09-11-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रेही मौजा जाटन के खाता सं. 202/191 के खसरा सं. 47 की 10.813 है0, खसरा सं. 70 की 0.754 है0, खसरा सं. 72 की 0.910 है0 खसरा सं. 253 की 8.258 है0, खसरा सं. 311 की 12.646 है0 कुल 33.386 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं. 1 महावीरप्रसाद के नाम 1656 हिस्सा में 1/3 हिस्सा यानि 552 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं. 1 महावीरप्रसाद अकेले के कब्जाए वादी सुनीलकुमार व प्रतिवादी सं. 1 महावीरप्रसाद व प्रतिवादी सं. 2 सुशीलकुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं अदि कृषि भूमि बैंक के रहन होता रहनमुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। राजीनामा की डिक्री का आदेश पढा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 9-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:56:22 IST
Reason: SelfAttested

(शकुन्तला चौधरी)
(शिविर प्रभारी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
प्र.गां. के संग अ.-2021
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner